रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-06122025-268284
CG-DL-W-06122025-268284

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 44] नई दिल्ली, नवम्बर 30—दिसम्बर 6, 2025, शनिवार/अग्रहायण 9—अग्रहायण 15, 1947
No. 44] NEW DELHI, NOVEMBER 30—DECEMBER 6, 2025, SATURDAY/AGRAHAYANA 9—AGRAHAYANA 15, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2025

सा.का.नि. 188.—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद अधिनियम, 1986 (1986 का 47) की धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षागारद, (समूह"ग") भर्ती नियम, 2004का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थातः-

(क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (समूह"ग")भर्ती (संशोधन) नियम,2025है।

(ख) ये राजपत्र में इनके प्रकाशनकी तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय सुरक्षा गारद, (समूह"ग") भर्ती नियम, 2004 की अनुसूची में, रेंजर-I/रेंजर- II योधक ट्रेड्समैन (जनरल ड्यूटी/तकनीकी और ट्रेड्समैन/प्रशासनिक) के पद से संबंधित क्रम संख्या 9 के सामने स्तंभ(12) में प्रतिनियुक्ति शीर्षक के अधीन खंड (ii) में "45 वर्ष" अंको और शब्द के स्थान पर "50 वर्ष" अंक और शब्द रखे जायेंगे ।

[फा. सं. 1-13011/1/RR/2025/HQ NSG/5042]

पी.एस. डंगवाल, निदेशक

नोटः मूल नियम भारत के राजपत्र भाग-II खंड-3 उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 422 तारीख 10 दिसम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 3rd January, 2025

G.S.R. 188.—In exercise of the powers conferred by section 139 of the National Security Guard Act, 1986 (47 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules to amend the National Security Guard (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2004, namely: -

(1) These rules may be called the National Security Guard (Group 'C' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2025.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Security Guard (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2004, in the Schedule, against serial number 9 relating to the post of Ranger-I/Ranger-II Combatised Tradesman (General Duty/Technical & Tradesman/Administrative), in column (12), under the heading Deputation, in clause (ii), for the figures and word "45 years", the figures and word "50 years" shall be substituted.

[F. No. 1-13011/1/RR/2025/ HQ NSG/5042]

P.S. DANGWAL, Director

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 422, dated the 10th December, 2004.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2025

सा.का.नि. 189.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय बचत संस्थान समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किये जाने का लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय बचत संस्थान, दिल्ली में उच्च श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक और मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों की भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों को राष्ट्रीय बचत संस्थान (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **प्रारंभिक गठन.-** इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में दर्शाए गए पदों के पदधारी, जिन्हें राष्ट्रीय बचत संस्थान में उन पदों पर नियमित आधार पर नियुक्त किया गया था, जिसे इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 7 मार्च, 2022 के संकल्प द्वारा पुनर्गठित किया गया है, इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया समझा जाएगा और इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व उक्त पद पर उनके द्वारा की गई सेवा को वेतन मैट्रिक्स में स्तर, प्रोन्नति और पेंशन आदि के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

5. **निरर्हता.- वह व्यक्ति,-**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति जिसका पति या पत्नी जीवित है, से विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.--** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.--** इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित।

"अनुसूची"

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन अथवा अचयन पद।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. उच्च श्रेणी लिपिक	4(2025)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 (रु. 25500- 81100)	अचयन

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा और ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	**(12)**	**(13)**
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रुपये) के ऐसे अवर श्रेणी लिपिक, जिन्होंने उस ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिसने केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार पद के लिए उपयुक्त कार्य क्षेत्रों में कम से कम दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह जब तब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक कर ली हो। **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और यहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थान ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति:** केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी; (क) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए; या (ख) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19900-63200 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद दिए गए ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा। विभाग **टिप्पण-1**: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के	प्रोन्नति पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: 1) निदेशक, राष्ट्रीय बचत संस्थान/ निदेशक (बजट), आर्थिक कार्य विभाग - अध्यक्ष 2) संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय बचत संस्थान - सदस्य 3) उप निदेशक, राष्ट्रीय बचत संस्थान - सदस्य	लागू नहीं होता।

लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने को पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण-2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण-3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी-4:** प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और यहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थान ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन अथवा अचयन पद।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. अवर श्रेणी लिपिक	4(2025)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स (रु.19900-63200)में स्तर-2	अचयन

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
27 वर्ष से अधिक नहीं	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	हां, स्तम्भ 11 के अधीन इंगित सीमा तक।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	(i) 75% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

	की हो। (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट (डब्ल्यू.पी.एम.) या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट (डब्ल्यू.पी.एम.) की टंकण गति। 35 शब्द प्रति मिनट (डब्ल्यू.पी.एम.) और 30 शब्द प्रति मिनट (डब्ल्यू.पी.एम.) की डिप्रेशन के लिए प्रति घंटा क्रमशः लगभग 10500 और की डिप्रेशन के लिए प्रति घंटा लगभग 9000 के अनुरूप हो।		कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती किए गए अभ्यर्थियों को पद पर पुष्ठी की पात्रता के लिए परिवीक्षा अवधि के दौरान दो सप्ताह का प्रवेशकालिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।	(ii) 25% राष्ट्रीय बचत संस्थान, दिल्ली के समूह 'ग' कर्मचारियों में से वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा। **टिप्पण:** "पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण करने वाले तथा स्तम्भ 8 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव धारित करने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।"

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	**(12)**	**(13)**
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रु. 18000 - 56900) के बहु कार्य कर्मचारी वृन्द, जिन्होंने उस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और केंद्रीय सरकार द्वारा यथानिर्धारित पद के लिए उपयुक्त कार्य क्षेत्रों में कम से कम दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह जब तब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक कर ली हो। **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान	प्रोन्नति पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्मलिखित सम्मिलित होंगे: (1) निदेशक, राष्ट्रीय बचत संस्थान / निदेशक (बजट), आर्थिक कार्य विभाग - अध्यक्ष (2) संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय बचत संस्थान - सदस्य (3) उप निदेशक, राष्ट्रीय बचत संस्थान - सदस्य पुनर्गठन पर विचार करने के लिए विभागीय पुष्टिकरण समिति की संरचना, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: (1) निदेशक, राष्ट्रीय बचत संस्थान/ निदेशक (बजट), आर्थिक कार्य विभाग - अध्यक्ष	लागू नहीं होता।

का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और यहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थान ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	(2) संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय बचत संस्थान - सदस्य (3) उप निदेशक, राष्ट्रीय बचत संस्थान – सदस्य	

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर/पे बेंड/ग्रेड पे**	**चयन पद अथवा अचयन पद**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. बहु कार्य कर्मचारी वृन्द	3(2025)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000 - 56900 रु.)	अचयन।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
25 वर्ष से अनाधिक।	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष उत्तीर्ण किया हो।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती किए गए अभ्यर्थियों को पद पर स्थायीकरण के लिए पात्र होने हेतु परिवीक्षा अवधि के दौरान दो सप्ताह का प्रवेशकालिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	पद की पुष्टि पर विचार हेतु विभागीय पुष्टिकरण समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:	लागू नहीं होता।

	1) निदेशक, राष्ट्रीय बचत संस्थान/निदेशक (बजट), आर्थिक कार्य विभाग - अध्यक्ष 2) संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय बचत संस्थान - सदस्य 3) उप निदेशक, राष्ट्रीय बचत संस्थान – सदस्य	

[फा. सं. 2/042004-एनएस-1]

व्यासन आर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 24th November, 2025

G.S.R. 189.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Savings Institute (Group C posts) Recruitment Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of the post of Upper Division Clerk, Lower Division Clerk and Multi-Tasking Staff in the National Savings Institute, Delhi under the Ministry of Finance, namely :-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the National Savings Institute (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2025.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix. –** The number of the said posts, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.-** The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Initial Constitution.-** The incumbents of the post shown in column(1) of the Schedule annexed to these rules who were appointed on regular basis to the post in the National Savings Institute which has been restructured vide Resolution dated the 7th March, 2022 of Department of Economic Affairs, Ministry of Finance before the commencement of these rules, shall be deemed to have been appointed under these rules and the service rendered by them in the said post before the commencement of these rules shall be taken into account for the purpose of level in the pay matrix, Promotion and Pension, etc.

5. **Disqualification. -** No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

   shall be eligible for appointment to the said post :

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

7. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard

"SCHEDULE"

Name of the post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in the Pay Matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1. Upper Division Clerk	4(2025)* * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500- 81100)	Non selection.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Methods of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation or absorption.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	**(12)**	**(13)**
Promotion: Lower Division Clerk in level – 2 in the pay matrix (Rs.19900- 63200) with eight years of regular service in the grade and having successfully completed at least two weeks training in the areas of work suitable for the post, as decided by the Central Government. **Note1.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligible service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligible service by more than half of such qualifying or eligible service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligible service. **Note 2.-** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the first January,2016, (the date from which the revised pay structure based on the 7th Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised level in pay matrix into one grade with a common level in pay matrix, and where this benefit will extend only for the post(s) for which level in pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation. **Deputation:** Officers of the Central Government, State Government, Union territories; (a) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (b) with eight years regular service in the grade rendered after appointment to the post on a regular	Departmental Promotion Committee for considering the promotion, consisting of : 1) Director, National Savings Institute / Director (Budget),DEA - Chairman 2) Joint Director, National Savings Institute – Member 3) Deputy Director, National Savings Institute - Member	Not applicable.

basis in level – 2 in the pay matrix (Rs.19900-63200) or equivalent in the parent cadre or department. **Note 1.-** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.-** Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3.-** The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of application. **Note 4.-**For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered after appointment thereto on regular basis by an officer prior to the 1st January,2016, (the date from which the revised pay structure based on the 7th Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised level in pay matrix into one grade with a common level in pay matrix, and where this benefit will extend only for the post(s) for which level in pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.		

Name of the post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in Pay Matrix**	**Whether selection post or non-selection.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
2. Lower Division Clerk	4(2025)* * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non- Gazetted , Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs.19900- 63200)	Non selection.

Age limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Methods of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not exceeding 27 years	(i) Passed 12th Standard or equivalent examination from a recognized Board. (ii) A typing speed	Yes, to the extent indicated under column 11.	Two years for direct recruits. The candidates recruited through Staff Selection commission shall have to undergo	(i) 75% by Direct recruitment through Staff Selection Commission; (ii) 25% by promotion from Group 'C' employees of the National Savings Institute, Delhi on seniority-cum-fitness basis.

	of 35 words per minute (w.p.m.) in English or 30 words per minute (w.p.m.) in Hindi on computer 35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to about 10500 key depressions per hour and about 9000 key depressions per hour respectively.		two weeks induction training during the period of probation to be eligible for confirmation in the post.	**Note:** "Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government holding analogous posts on regular basis; and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Col. 8".

Name of the post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in Pay Matrix**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
3. Multi-Tasking Staff	3(2025)* Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non- Gazetted, Ministerial.	Level -1 in the pay matrix (Rs.18000 - 56900).	Non selection.

Age limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Methods of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not exceeding 25 years.	Matriculation or equivalent pass from a recognized Board .	Not applicable.	Two years. The candidates recruited through Staff Selection commission shall have to undergo two weeks induction training during the period of probation to be eligible for confirmation in the post.	By Direct Recruitment through Staff Selection Commission.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Not applicable.	Departmental Confirmation Committee for considering the confirmation to the post consisting of : 1) Director, National Savings Institute/ Director (Budget), Department of Economic Affairs - Chairman	Not applicable.

	2) Joint Director, National Savings Institute – Member 3) Deputy Director, National Savings Institute - Member	

[F. No. 2/042004- NS-1]

VYASAN R., Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.12.06 11:38:33 +05'30'